संख्या- 3.ई0एम0/2004-का0-4/2005

प्रेषक,

प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक अप्रैल 16, 2005

महोदय,

50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में संविलीन किये जाने हेतु दिनांक 19, 20 एवं 21 अप्रैल, 2005 को उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति द्वारा दी गयी कार्य बहिष्कार की नोटिस के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सम्बंध में शासनादेश संख्या 1091/47-का0-4- 94-2ई0एम0/94, दिनांक 20 दिसम्बर, 1994 के संदर्भ में कार्यवाही करते हुए कार्यहित में उपरोक्त अवधि में अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर अवकाश स्वीकृत न किया जाय तथा जिनको पूर्व में अवकाश स्वीकृत कर दिया गया हो उनकी परिस्थितियां यदि आवश्यक न हों तो उन्हें कार्य पर बुलाया जाय।

भवदीय,

16/4/05

(प्रदीप शुक्ला)
सचिव।